BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 24 मई 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने के 02 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 07-07 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. बिजेन्द्र पुत्र नत्थूलाल 2. सतेन्द्र पुत्र नत्थूलाल निवासीगण ग्राम औरंगाबाद कसेर थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2012 में वादी धर्मेन्द्र पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम औरंगाबाद कसेर थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर के माता-पिता के साथ गाली-गलौच कर ईटों से वार कर गम्भीर रुप से घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 22.04.2012 को थाना डिबाई पर मुअसं- 204/2012 धारा 308/323/34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 20.10.2012 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 08 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 24.05.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-अनूपशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त बिजेन्द्र व सतेन्द्र को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 07-07 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री अजीत कुमार सक्सैना का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर